

1/11/27

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तृत्व
नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन / P.O. र
नियमित / सञ्चालन / अवकाश में। पत्रावली
वास्तो 18/11/27 दिनांक 19/11/27
को पेश हो। h

9/11/28

पत्रा. पेश / वास्तो 18/11/28
24/12/25 को पेश हो। che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

24/11/28

वास्तो 18/11/28
पेश हो। che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

23/1/26

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तृत्व
नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन / P.O. र
नियमित / सञ्चालन / अवकाश में। पत्रावली
वास्तो 18/1/26 दिनांक 11/2/26
को पेश हो। h

11/2/26

पत्रा. पेश / वास्तो आदेश 9/3/26
को पेश हो।

che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

9/3/26

पत्रा. पेश /
वादी नं. द्वारा 88, 89, 188 RT Act

che अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में :
	<p> के तहत वाद पैरा क्रिया है इनका कथन है कि दिनांक 1/08/2002 के प्रतिवादीगण ने प्रसरा न. (पुयगा) (वर्तमान - 26) कुल रकबा 0.26 है भूमि का बँचान वाली के स्व. पिता कँवरलाल को किया था तबसे यह भूमि वादी द्वारा काबत की जा रही है। 2022 में उक्त कृषि भूमि की registration करके भूमि दिगिरा पुत्र गीताराम को बँचान कर दी। वादी चाहते हैं कि वर्जित आबादीयत पर वादीगण पूर्व के भाति काबत रहे। प्रतिवादी का जवाब पैरा नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पैरा इकरारनामा Unregistered है। इकरारनामा में लिखा है कि धन्नीबाई, राजाराम, फूलचन्द, प्रभूलाल ने कँवरलाल मीटर 5/0 रामलाल मीटर को 2 1/2 बीघा ज़मीन 25,000 में बँचान नामा किया। प्रसरा न. 22 का भी जिक्र है। परन्तु under Transfer of Property Act, 1882 - transfer of immovable property can occur only through registered sale deed. व द्वारा 88 में अंतर्गत यह स्पष्ट है कि </p>	

सुपरी
 अंतर्गत जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

अपंजीकृत बिना स्टाम्प के इकरारनाम
के आधार पर यातेंदारी अधिकार
नहीं दिए जा सकते.

इसके विपरीत 01.09.2022 का
विक्रय पत्र ~~पंजीकृत~~ ^{पुनः} दस्तावेज ^{पुनः} दही
के legal title transfer करता है।
उक्त दस्तावेज को civil court
ही चारिज कर सकती है।

अतः बादी बदमास्त शक्ति पर
अपने यातेंदारी prove करने में
असमर्थ रहा है। कोई पंजीकृत
दस्तावेज और न ही कभी कतरेलाल
के नाम जामाबंदी में entry हुई है।

अतः इसके विपरीत दिनेश पुत्र
श्रीधराम के नाम पंजीकृत विक्रय
पत्र है।

अतः बादी का बाद v/s 88, 89,
198 चारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/3/26 को
सुनाया गया।

प्रेसल सुमार होकर दायित्व
दफ्तर है व नम्बर से कम है।



Che
9/3/26
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी